न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–770/08

उनवान

प्रभात पुत्र औंकार, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. फूल मोहम्मद } पुत्रान स्व0 गौश मोहम्मद खां, जाति मुसलमान
2. दीन मोहम्मद } निचासी ग्राम तिगरिया, तह0 चौमूं, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णयः–

दिनांकः–**30-01-2018**

वादी द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वाके ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खसरा नं0 743, 1557, 1566, 1567, 1568/2269, 1581 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.86 है0 भूमि वाद में विवादग्रस्त भूमि है। वादी जागीरदारी के समय से करीब 50–55 वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ही लगान जमा करवाता आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के लगवा पूर्व में वादी की अन्य काश्त भूमियां खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। वादी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 1551 में स्वयं ने एक चाह बनवाया एवं उसमें बिजली [illegible] लगाया हुआ है। जिससे वादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त [illegible] चला आ रहा है। वादी की भूमि में बने चाह में पानी सूख [illegible] करवा लिया, जिससे वह सिंचाई कर काश्त करता चला आ रहा है। भूमि विवादग्रस्त [illegible] खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 [illegible] नाम से दर्ज है। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 का आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ही पूर्व में कभी रहा है एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता का भी कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से सेटलमेन्ट कारकूनान द्वारा गलती से नाम इन्द्राज की हुई है। दिनांक 05.10.2005 को वादी अपनी उक्त भूमि विवादग्रस्त में काम कर रहा था तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 बाहरी व्यक्तियों के साथ भूमि विवादग्रस्त पर आये व आते ही वादी को कहा कि यह भूमि हमारे नाम है, हम उक्त भूमियों को बेचान बाहरी व्यक्तियों को करेंगे, आपका इन भूमियों से कोई लेना देना नहीं है, आप खाली कर दो वरना अन्जाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 की धमकी से वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद कारण निरन्तर जारी होने से वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी द्वारा वाद पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त के बाबत प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज हुई खातेदारी को रिकॉर्ड राजस्व में हजफ फरमाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाये जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 मय परिवार के उक्त आराजीयात विवादग्रस्त में ना तो प्रवेश करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही बेचान, रहन, मुन्तकिल, हस्तान्तरण करें, ना ही कोई विलेख पत्र तसदीक करें, ना ही वादी के फसल बुवाई, कटाई में बाधा कारित करें, ना ही बेदखल करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें ना ही अन्य से करवायें।

वाद पत्र पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 27.03.2006 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नोटिस मूल ही वापस लौटे जाने के कारण से मार्फत अखबार तामील करवाई गई। किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में प्रदर्श 1.नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–2063, प्रदर्श 2.खसरा गिरदावरी, प्रदर्श 3.पर्चा लगान, प्रदर्श 4.संशोधित पर्चा लगान, प्रदर्श 5. पर्चा नोटिस सेटलमेन्ट, प्रदर्श 6ता8. लगान रशीदें, प्रदर्श 9. मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 10. जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063, प्रदर्श [illegible] ट्रेस पेश किये गये व मौखिक साक्ष्य के रुप में जगन्नाथ पुत्र गोमा [illegible] पुत्र [illegible], सीताराम पुत्र हनुमान शर्मा, गोपाल पुत्र [illegible] का शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी पर वादी अरसे दराज करीब 50–55 वर्ष से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के लगवा वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। वादी की अन्य आराजी में बने बोरिंग से विवादित भूमि की सिंचाई की जा रही है। वादी द्वारा विवादित भूमि का लगान अदा किया जा रहा है। वादी को अडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से कहीं भी ताईद नहीं होता है कि प्रारम्भ में विवादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम रही हो या सेटलमेन्ट के समय कारकूनान से रिकॉर्ड संधारण में किसी प्रकार की त्रुटि की गई हो। केवल विपरीत कब्जे (adverse possesion) के अनुतोष पर किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है व विभिन्न अपेक्ष न्यायालयों के निर्णयों से भी स्पष्ट है कि adverse possesion के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। ऐसे में वादी का वाद (maintainable) पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–770/08

उनवान

प्रभात पुत्र औंकार, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. फूल मोहम्मद } पुत्रान स्व0 गौश मोहम्मद खां, जाति मुसलमान
2. दीन मोहम्मद } निचासी ग्राम तिगरिया, तह0 चौमूं, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–30.01.2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व .... मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद (maintainable) पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निजी ...x....मबलिक .x.......... बाबत ..x.........खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....x........... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 30.01.2018 को जारी किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:51:32 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

Scanned by CamScanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	3 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	4	जोड़	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.01.28 15:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner